

प्रपत्र - तीन


कार्यालय नायब तहसीलदार तहसील भाण्डेर जिला - दतिया (म.प्र.)

प्र.क्र. 64/बी-121/वर्ष 2016-17

दिनांक 26-10-16

स्थानी

- पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.

पिता/पति विजय सिंह जोतम निवासी डी.डी.ओ. जोतम
तहसील भाण्डेर जिला दतिया (मध्यप्रदेश)

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण - पत्र जारी किये जाने के लिए

प्रभाषरील ज्ञापन दिनांक 20-12-2011 में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक.....

की पूर्ती करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन, विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/17/1/3/2011 दिनांक 20-12-2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी / अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

पत्नी का विवरण : नाम.....आयु.....वर्ष.....
: (1) नाम..... पुत्र/पत्नी, आयु..... वर्ष.....
(2) नाम..... पुत्र/पत्नी, आयु..... वर्ष.....
(3) नाम..... पुत्र/पत्नी, आयु..... वर्ष.....
(4) नाम..... पुत्र/पत्नी, आयु..... वर्ष.....
(5) नाम..... पुत्र/पत्नी, आयु..... वर्ष.....

टीप :- यह प्रमाण-पत्र निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

* साक्ष्य व होने पर कट दें।

प्रमुख सचिव - पीसाचर कोटो स्टेट, तहसील के सापने, भाण्डेर

हस्ताक्षर/मुहर तहसीलदार
तहसील भाण्डेर
जिला दतिया